संख्याः– 1051/अड़तीस–9–13– 500(27)/2013

प्रेषक,

बी0पी0 सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सुल्तानुपर।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 5 सितम्बर, 2013

विषयः–जनपद सुल्तानपुर में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सोलर लाइट संयत्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–वि0नि0वि0परि0निर्देश/2013–2014, दिनांक–20.07.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना से जनपद सुल्तानपुर में सोलर लाइट संयत्र की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश से सम्बन्धित धनराशि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत डा0 ओम प्रकाश त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुसार वहन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा–निर्देश मांगे गये है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया व्यक्तिगत/परिवारिक लाभ के उपकरण/संयत्र जैसे सोलर लालटेन/डोमोस्टिक लाइट/पंखा के लाभार्थी अंश का भुगतान, तो स्वयं लाभार्थी को ही करना होगा। ऐसे सामुदायिक उपयोग के कार्य जैसेः–रोड लाइट, पार्क लाइट, जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हैं, के अन्तर्निहित लाभार्थी अंश को मा0 विधायकों की संस्तुति पर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना से वहन किये जाने पर कोई रोक नहीं है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0पी सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 1051 (1)/अड़तीस–9–2013, तददिनांक।

प्रतिलिपिः–आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी0पी सिंह)
अनु सचिव।